न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible]/2017	[illegible]/2017	12.08.2022

इजलास

[illegible] पुत्र [illegible] पुत्री श्री हरिसिंह जाति [illegible] निवासी ग्राम [illegible]पुर तहसील तिजारा जिला अलवर [illegible] तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर (राजस्थान)

——— वादिया

(ब नाम)

[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

[illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible]पुरा, गुडगावा

——— प्रतिवादीगण

[illegible] श्री [illegible] दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— संशोधित निर्णय —

वादि [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] किया कि आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 6 बिस्वा, 198 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 467 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, [illegible] रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा में से 2/6 भाग तथा आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] बीघा, [illegible] रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 904 रकबा 3 बीघा 905 रकबा [illegible] 6 बिस्वा, [illegible] रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा, [illegible] रकबा [illegible] बिस्वा, 909 रकबा 6 बिस्वा, 910 रकबा 19 बिस्वा, [illegible] रकबा 8 बिस्वा, 912 रकबा 8 बिस्वा, 913 रकबा 14 बिस्वा, 914 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 915 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, [illegible] रकबा 8 बिस्वा, 917 रकबा 8 बिस्वा, 918 रकबा 9 बीघा कुल किता 16 कुल रकबा 27 बीघा [illegible] बिस्वा में से 2/[illegible] हिस्सा वाके ग्राम [illegible] तहसील टपूकड़ा जिला अलवर में स्थित है। उक्त [illegible] विवादित आराजी [illegible] वादिया व वादिया की माता [illegible] को हरिसिंह पुत्र [illegible] की विरासत से प्राप्त हुई है [illegible] विवादित आराजी पर [illegible] वादिया व इसकी माता [illegible] की कब्जा काश्त खातेदारी की [illegible] है। [illegible] आराजी पर [illegible] वादिया व इसकी माता [illegible] काबिज व दाखिल होकर काश्त करती [illegible] वादिया की माता [illegible] का देहान्त हो चुका है तथा [illegible] के देहान्त उपरान्त [illegible] वादिया [illegible] विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल चली आ रही है तथा [illegible] वादिया का वास्तविक कब्जा है [illegible] वादिया की [illegible] श्री [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] गुडगावा [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

... किया है। मिन प्रार्थीयां व उसकी माता मोहरा अपने ... साथ आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करती रही है। मिन वादियां व उसकी माता मोहरा ने अपने हिस्से की भूमि का कभी किसी को बेचान नही किया है और ना ही मिन वादियां ने प्रतिवादी संख्या 1 को व वादियों की माता मोहरा ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने अपने हिस्से की जमीन का बेचान किया है और ना ही प्रतिफल राशि प्राप्त की है और ना ही बयनामा पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये है और ना ही मिन वादियां व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जानते है और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कभी गावं मे आये है। प्रतिवादीगण ने मिन वादियां व उसकी माता के हिस्से की भूमि को हड़प करने व हमारे हकूकों को जायल करने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 ने मिन वादियां के हिस्से की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 ने वादियां के हिस्से की भूमि का रामरतन से मिलकर फर्जी मुख्तयार–आम की आड़ मे दिनांक 15.06.93 को फर्जी बयनामा के आधार पर विवादित आराजी का पंजीबद्ध बिला कब्जा, बिला प्रतिफल अदा किये कराया है। जबकि मिन वादियां की माता मोहरा ने रामरतन को अपनी आराजी की बाबत कोई मुख्तयार–आम नियुक्त नहीं किया था और ना ही मिन वादियां ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को किया है और ना ही कोई प्रतिफल प्राप्त किया है और ना ही अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये है। यह समस्त कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने आपको सदोष लाभ पहुँचाने व मिन वादियां के हकूकों को जायल करने व मिन वादियां को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से फर्जी बयनामेंजात पंजीबद्ध कराये है। जिस फर्जी बयनामेंजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम का इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दर्ज करा दिया जो गलत अमल हाल जमाबन्दी में बदस्तूर चला आ रहा है, जो गलत अमल वादियां के हकूकों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है, प्रारम्भ से ही शून्य है नाकाबिले पाबन्दी। जिसे वादियां इसी कदर दुरूस्त कराकर मिन वादियां अपने आपको विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम को हजफ कराकर अपने नाम का अमल कराकर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जाकर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वादियां की ओर से साक्ष्य ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस वकील वादियां एक तरफा सुनी गई।

हमने वादी अधिकवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि बयनाम दिनांक 15.06.93 गलत तरीके से दर्ज किया गया है पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान द्वारा उनवान किशनचन्द बनाम कुड़िया एवं बलबीर बनाम कुड़िया में डिकी पारित की जा चुकी है उक्त प्रकरणों में भी पूर्व प्रकरण के निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि कुड़िया नाम का कोई व्यक्ति ग्राम नागलपठानी जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में निवास नहीं करता है। इस वाद में भी रजिस्टर्ड तलबी के उपरान्त प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

[illegible] कि कुडिया नाम का व्यक्ति है ही नही कुडिया द्वारा फर्जी [illegible] कराया गया था। इसलिए वादिया का [illegible] का नाम दर्ज किया जावे।

[illegible] रकबा 0.28 है0 निर्णय में सहवन से रह जाने के कारण वादी [illegible] किया जाकर उक्त निर्णय में आराजी खसरा नम्बर [illegible] दिया जाता है।

[illegible] आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 6 बिस्वा, 103 रकबा 3 बीघा [illegible] 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा में से [illegible] नम्बर 902 रकबा 3 बीघा, 903 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 904 रकबा 3 बीघा, [illegible] 1 बीघा 9 बिस्वा, 908 रकबा 8 बिस्वा, 909 रकबा 8 बिस्वा, 910 [illegible] 912 रकबा [illegible] बिस्वा, 913 रकबा 14 बिस्वा, 914 रकबा 1 बीघा 10 [illegible] बिस्वा, 917 रकबा 8 बिस्वा, 918 रकबा 9 बीघा कुल किता [illegible] 2/45 हिस्सा वाके ग्राम मुकन्दपुर हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर [illegible] बनारसी पुत्र [illegible] का नाम उक्त रकबे से कलमजन किया जाकर [illegible] 1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आरएएस)

मुकदमा नम्बर 419/2017

संस्थित दिनांक 16.11.2017

निर्णय दिनांक 16.06.2019

[illegible]

01 [illegible] पुत्री [illegible] जिला अलवर [illegible] तहसील तिजारा [illegible] जिला अलवर (राजस्थान)

..........वादिया

(ब ना म)

01 बुद्धिया पुत्र छोटेलाल जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील व जिला [illegible] (हरियाणा)

02 बनारसी पुत्र श्री छोटेलाल जाति हरिजन [illegible] निवासी [illegible]

..........प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: संशोधित पर्चा डिक्री ::

आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 6 बिस्वा, 108 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 487 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 476 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा में से 2/6 भाग तथा आराजी खसरा नम्बर 902 रकबा 3 बीघा, 903 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 904 रकबा 3 बीघा, 905 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 906 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 908 रकबा 8 बिस्वा, 909 रकबा 8 बिस्वा, 910 रकबा 15 बिस्वा, 911 रकबा 8 बिस्वा, 912 रकबा 8 बिस्वा, 913 रकबा 14 बिस्वा, 914 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 915 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 916 रकबा 8 बिस्वा, 917 रकबा 8 बिस्वा, 918 रकबा 9 बीघा कुल किता 16 कुल रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा में से 2/48 हिस्सा वाके ग्राम बुहडपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर प्रतिवादी बुद्धिया पुत्र छोटेलाल व बनारसी पुत्र छोटेलाल का नाम उक्त रकबे से कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादिया संख्या 1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)